प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी): आदरणीय अध्यक्ष जी, आज का यह दिवस लोकतंत्र की एक महान परंपरा का महत्वपूर्ण दिवस है। 17वीं लोक सभा ने 5 वर्ष देश सेवा में जिस प्रकार से अनेक विध महत्वपूर्ण निर्णय किए, अनेक चुनौतियों को सब ने अपने सामर्थ्य से देश को उचित दिशा देने का प्रयास किया। एक प्रकार से आज का दिवस हम सब की उन 5 वर्ष की वैचारिक यात्रा का, राष्ट्र को समर्पित उस समय का, देश को फिर से एक बार अपने संकल्पों को राष्ट्र के चरणों में समर्पित करने का यह अवसर है। ये 5 वर्ष देश में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के हैं। यह बहुत रेयर होता है कि रिफॉर्म भी हो, परफॉर्म भी हो और हम ट्रांसफॉर्म होता अपनी आंखों के सामने देख पाते हों, एक नया विश्वास भरता हो। यह अपने आप में 17वीं लोक सभा से आज देश अनुभव कर रहा है। मुझे पक्का विश्वास है कि देश 17वीं लोक सभा को जरूर आशीर्वाद देता रहेगा। इन सारी प्रक्रियाओं में सदन के सभी माननीय सदस्यों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह समय है कि मैं सभी माननीय सांसदों का इस गृह के नेता के नाते भी और आप सब के एक साथी के नाते भी आप सब का अभिनंदन करता हूं।

विशेष रूप से, आदरणीय अध्यक्ष जी मैं आपके प्रति भी हृदय से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पांचों वर्ष, कभी-कभी सुमित्रा जी मुक्त हास्य करती थीं, लेकिन आप हर पल, आपका चेहरा मुस्कान से भरा रहता था। यहां कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी उस मुस्कान में कोई कमी नहीं आई। अनेक विध परिस्थितियों में आपने बहुत ही संतुलित भाव से और सच्चे अर्थ में निष्पक्ष भाव से इस सदन का मार्गदर्शन किया, सदन का नेतृत्व किया, मैं इसके लिए भी आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। आक्रोश के पल भी आए, आरोप के भी पल आए, लेकिन आपने पूरे धैर्य के साथ इन सभी स्थितियों को संभालते हुए और एक सूझ-बूझ के साथ आपने सदन को चलाया, हम सब का मार्गदर्शन किया, इसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं।

17.00 hrs

आदरणीय अध्यक्ष जी, 5 वर्षो में इस सदी का सबसे बड़ा संकट पूरी मानव जाति ने झेला। कौन बचेगा, कौन बच पाएगा, कोई किसी को बचा सकता है या नहीं बचा सकता है, वह ऐसी अवस्था

थी। ऐसे में, सदन में आना, अपना घर छोड़कर निकलना, यह भी संकट का कार्य था। इसके बाद भी, जो भी नयी व्यवस्थाएं आपको करनी पड़ी, आपने उनको किया। आपने देश के काम को रुकने नहीं दिया। सदन की गरिमा भी बनी रहे और देश के आवश्यक कामों को जो गति देनी चाहिए, वह गति भी बनी रहे और उस काम में सदन की जो भूमिका है, वह रत्ती भर भी पीछे न रहे, आपने इसे बड़ी कुशलता के साथ सम्भाला और दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में रखा।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सांसदों का भी, इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उस कालखंड में देश की आवश्यकताओं को देखते हुए, सांसद निधि छोड़ने का प्रस्ताव माननीय सांसदों के सामने रखा। एक पल का विलम्ब किये बिना, सभी माननीय सांसदों ने सांसद निधि छोड़ दी।

इतना ही नहीं, देशवासियों को एक पाज़िटिव मैसेज देने के लिए अपने आचरण से समाज को एक विश्वास देने के लिए सांसदों ने अपनी सैलरी में से 30 प्रतिशत की कटौती का निर्णय सबने स्वयं किया। इससे देश को भी विश्वास हुआ कि ये सबसे पहले छोड़ने वाले लोग हैं।

हम सभी सांसद बिना कारण साल में दो बार हिन्दुस्तान की मीडिया के किसी न किसी कोने में गाली खाते रहते थे कि इन सांसदों को इतना मिलता है और ये लोग कैंटीन में इतने में खाते हैं। बाहर इतने में मिलता है और कैंटीन में इतने में मिलता है। यानी बाल नोंच लिये जाते थे। आपने निर्णय किया, सबके लिए कैंटीन में समान रेट होंगे। इसके लिए सांसदों ने कभी विरोध नहीं किया, शिकायत भी नहीं की। बिना कारण सांसदों की फजीहत करने वाले लोग मजे लेते थे, उससे भी आपने हम सबको बचा लिया। इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, यह बात सही है कि कई लोक सभा के सदस्य, चाहे वे 15वीं लोक सभा, 16वीं लोक सभा या 17वीं लोक सभा के सदस्य हों, संसद का नया भवन होना चाहिए, इसकी चर्चा सबने की, सामूहिक रूप से की, एक स्वर से की। लेकिन इसका निर्णय नहीं हो पाता था। यह आपका नेतृत्व है, जिसने निर्णय किया, चीजों को आगे बढ़ाया, सरकार के साथ अनेक मीटिंग्स की गईं और उसी का परिणाम है कि आज देश को यह नया संसद भवन प्राप्त हुआ है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, संसद के नये भवन में, एक विरासत का अंश और आज़ादी का जो पहला पल था, उसको जीवंत रखने का हमेशा हमारे मार्गदर्शक के रूप में सैंगोल को यहाँ स्थापित करने का काम हुआ। अब प्रतिवर्ष इसे सेरिमोनियल इवेंट का हिस्सा बनाने का एक बहुत बड़ा काम आपके नेतृत्व में हुआ है। जो भारत की आने वाली पीढ़ियों को हमेशा-हमेशा आजादी के उस प्रथम पल के साथ जोड़कर रखेगा। आजादी का वह पल क्यों था, हमें वह याद रहेगा तो देश को आगे ले जाने की वह प्रेरणा भी बनी रहेगी। उस पवित्र काम को आपने किया है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, इस कालखंड में जी-20 की अध्यक्षता भारत को मिली। भारत को बहुत सम्मान मिला। देश के हर राज्य ने अपने-अपने तरीके से विश्व के सामने भारत का सामर्थ्य और अपने राज्य की पहचान बखूबी प्रस्तुत की, जिसका प्रभाव आज भी विश्व के मन पर है। उसके साथ आपके नेतृत्व में जी-20 की तरह पी-20 का सम्मेलन हुआ और विश्व के अनेक देशों के स्पीकर्स यहाँ आए और मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत की इस महान परम्परा को लेकर, किस डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर सदियों से हम आगे बढ़े हैं, व्यवस्थाएं बदली होंगी, लेकिन भारत का डेमोक्रेटिक मन हमेशा बना रहा है। इस बात को आपने विश्व के स्पीकर्स के सामने बखूबी प्रस्तुत किया और भारत को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी एक प्रतिष्ठा प्राप्त कराने का काम आपके नेतृत्व में हुआ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात के लिए आपका विशेष अभिनन्दन करना चाहता हूँ। शायद हमारे सभी माननीय सांसदों का और मीडिया का भी उस तरफ ध्यान नहीं गया है। हम जिसे संविधान सदन कहते हैं, जो पुरानी संसद है, जिसमें महापुरुषों की जन्म जयंती के दिन उनकी प्रतिमा को पुष्प चढ़ाने के लिए हम लोग एकत्र होते हैं। वह एक 10 मिनट का इवेंट होता था और चले जाते थे। आपने देश भर में इन महापुरुषों के लिए वक्तव्य स्पर्धा, निबंध स्पर्धा का एक अभियान चलाया है। उसमें से जो बेस्ट ऑरेटर होते थे और बेस्ट एस्सेज होते थे, हर राज्य से दो-दो बालक उस दिन दिल्ली आते थे और उस महापुरुष की जन्म जयंती के समय, पुष्प वर्षा के समय वे वहाँ मौजूद रहते थे, देश के नेताओं के साथ और बाद में वे पूरा दिन वहाँ रहकर उस महापुरुष पर अपना व्याख्यान देते थे। वे दिल्ली के अन्य स्थानों पर भी जाते थे। वे संसद की गतिविधियों को समझते थे। यानी आपने यह

निरन्तर प्रक्रिया चलाकर के देश के लाखों विद्यार्थियों को भारत की संसदीय परम्परा से जोड़ने का एक बहुत बड़ा काम किया है। यह परम्परा आपके खाते में रहेगी और आने वाले समय में हर कोई बड़े गौरव के साथ इस परम्परा को आगे बढ़ायेगा। मैं इसके लिए भी आपका अभिनन्दन करता हूँ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, संसद की लाइब्रेरी, जिसको उपयोग करना चाहिए, वे कितना कर पाते थे, वह तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपने उसके दरवाजे सामान्य व्यक्ति के लिए खोल दिए थे। ज्ञान का यह खजाना, परम्पराओं की विरासत, उसको आपने जन सामान्य के लिए खोलकर बहुत बड़ी सेवा की है। मैं इसके लिए भी आपका हृदय से अभिनन्दन करता हूँ। पेपरलेस पार्लियामेंट, डिजिटलाइजेशन, आधुनिक टेक्नोलॉजी हमारी व्यवस्था में कैसे बने, शुरू में कुछ साथियों को दिक्कत रही, लेकिन अब सब इसके आदी हो गए हैं। मैं देखता हूँ कि जब यहाँ बैठते हैं तो कुछ न कुछ करते रहते हैं। यह अपने आपमें एक बहुत बड़ा काम आपने किया है। आपने स्थायी व्यवस्थाएं निर्माण की हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी कुशलता और माननीय सांसदों की जागरुकता, मैं सबका संयुक्त प्रयास कह सकता हूं जिसके कारण 17वीं लोक सभा की प्रोडक्टिविटी करीब-करीब 97 परसेंट रही है। 97 परसेंट प्रोडक्टिविटी अपने आप में प्रसन्नता का विषय है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आज जब हम 17वीं लोक सभा की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं तब एक संकल्प लेकर 18वीं लोक सभा प्रारम्भ होगी कि हमेशा शत् प्रतिशत से ज्यादा प्रोडक्टिव वाली हमारी कार्यवाही हो और उसमें भी सात सत्र 100 प्रतिशत से भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाले हैं। मैंने देखा कि आपने रात-रात भर बैठ कर भी हर सांसद के मन की बात को सरकार के सामने लाने का भरपूर प्रयास किया। मैं इस सफलता के लिए सभी माननीय सांसदों का और सभी फ्लोर लीडर्स का भी हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। 17वीं लोक सभा के पहले सत्र में दोनों सदनों ने 30 विधेयक पारित किए थे और यह अपने आप में रिकार्ड है। नए-नए बैंच मार्क 17वीं लोक सभा ने बनाए हैं। आजादी के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव, हम सबको कितना बड़ा सौभाग्य मिला है कि ऐसे अवसर पर हमारे सदन ने अत्यंत महत्वपूर्ण कामों का नेतृत्व किया, हर स्थान पर हुआ और शायद ही कोई ऐसा सांसद होगा, जिसने आजादी के

75 वर्ष को लोकोत्सव बनाने में अपने-अपने क्षेत्र में भूमिका अदा न की हो। यानी सचमुच में आजादी के 75 वर्ष को देश ने जी भर कर उत्सव से मनाया और उसमें हमारे माननीय सांसदों की और इस सदन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमारे संविधान लागू होने के 75 वर्ष, यह भी अवसर इसी समय, इसी सदन को मिला है, हम सभी सांसदों को मिला है और संविधान की जो भी जिम्मेदारियां हैं, उनकी शुरूआत यहीं से होती है और उनके साथ जुड़ना अपने-आप में बहुत प्रेरक है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, इस कार्यकाल में बहुत ही रिफार्म्स हुए और गेमचेंजर, 21वीं सदी के भारत की मजबूत नींव उन सारी बातों में नजर आती है। एक बड़े बदलाव की तरफ तेज गति से देश आगे बढ़ा है और इसमें भी सदन के सभी साथियों ने बहुत उत्तम मार्गदर्शन किया है और हिस्सेदारी जताई है। हम संतोष से कह सकते हैं कि हमारी अनेक पीढ़ियां जिन बातों का इंतजार करती थीं, ऐसे बहुत से काम इस 17वीं लोक सभा के माध्यम से पूरे हुए। पीढ़ियों का इंतजार खत्म हुआ। अनेक पीढ़ियों ने एक संविधान, जिसके लिए सपना देखा था, लेकिन हर पल उस संविधान में एक दरार दिखाई देती थी, एक खाई नजर आती थी। एक रुकावट चुभती थी, लेकिन इसी सदन ने आर्टिकल 370 हटाकर संविधान के पूर्ण रूप को, उसके पूर्ण प्रकाश के साथ उसका प्रगटीकरण हुआ। मैं मानता हूं जब संविधान के 75 वर्ष हुए, जिन-जिन महापुरुषों ने संविधान को बनाया है, उनकी आत्मा जहां भी होगी, जरूर हमें आशीर्वाद देते होंगे, जो काम हमने पूरा किया है।

जम्मू-कश्मीर के लोगों को सामाजिक न्याय से वंचित रखा गया था। आज हमें संतोष है कि सामाजिक न्याय का जो हमारा कमिटमेंट है, वह जम्मू-कश्मीर के हमारे भाई-बहनों को भी पहुंचाकर आज हम एक संतोष की अनुभूति कर रहे हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, आतंकवाद नासूर बन गया था, देश के सीने पर गोलियां चलाता रहता था। माँ भारती की धरा आए दिन रक्तरंजित हो जाती थी। देश के अनेक विद्, होनहार लोग आतंकवाद की बलि चढ़ जाते थे। हमने आतंकवाद के विरुद्ध सख्त कानून बनाए, इसी सदन ने बनाए। मुझे पक्का विश्वास है कि उसके कारण जो लोग ऐसी समस्याओं से जूझते हैं, उनको एक बल

मिला है, मानसिक रूप से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है और भारत को पूर्ण रूप से आतंकवाद से मुक्ति का एक अहसास हो रहा है और वह सपना भी सिद्ध होकर रहेगा।

हम 75 सालों तक अंग्रेजों की दी हुई दंड संहिता में जीते रहे थे। हम देश को गर्व से कहेंगे, नयी पीढ़ी को कहेंगे, आप अपने पोते-पोती को गर्व से कह सकेंगे कि देश ने भले ही 75 साल दंड संहिता में जिया है, लेकिन अब आने वाली पीढ़ी न्याय संहिता में जियेगी और यही सच्चा लोकतंत्र है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका एक और बात के लिए अभिनन्दन करना चाहूंगा कि नये सदन की भव्यता वगैरह तो है ही, लेकिन उसका प्रारम्भ एक ऐसे काम से हुआ है, जो भारत की मूलभूत मान्यताओं को बल देता है और वह नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। जब भी इस नए सदन की चर्चा होगी तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र होकर रहेगा। भले ही वह एक छोटा सत्र था, लेकिन दूरगामी निर्णय करने वाला सत्र था। इस नए सदन की पवित्रता का अहसास उसी पल शुरू हो गया था, जो हम लोगों को एक नयी शक्ति देने वाला है और उसी का परिणाम है कि आने वाले समय में जब बहुत बड़ी मात्रा में हमारी माताएं-बहनें बैठी होंगी, देश गौरव की अनुभूति करेगा।

तीन तलाक - कितने उतार-चढ़ाव से हमारी मुस्लिम बहनें इंतजार कर रही थीं। अदालतों ने उनके पक्ष में निर्णय दिए थे, लेकिन वह हक उनको प्राप्त नहीं हो रहा था, मजबूरियों से गुजारा करना पड़ रहा था। कोई प्रकट रूप से कहे, कोई अप्रकट रूप से कहे, लेकिन तीन तलाक से मुक्ति का बहुत महत्वपूर्ण और नारी शक्ति के सम्मान का काम सत्रहवीं लोक सभा ने किया है। सभी माननीय सांसद, उनके विचार कुछ भी रहे हों, उनका निर्णय कुछ भी रहा हो, लेकिन कभी न कभी तो वे कहेंगे कि हाँ, इन बेटियों को न्याय देने का काम करते समय हम वहां मौजूद थे। पीढ़ियों से होता यह अन्याय हमने समाप्त किया और वे बहनें आज आशीर्वाद दे रही हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, आने वाले 25 वर्ष हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। राजनीति की गहमागहमी अपनी जगह पर है, राजनीतिक क्षेत्र के लोगों की आशाएं-आकांक्षाएं अपनी जगह पर हैं, लेकिन देश की अपेक्षा, देश की आकांक्षा, देश का सपना, देश का संकल्प यह बन चुका है। ये 25 साल वो हैं, जिसमें देश इच्छित परिणाम प्राप्त करके रहेगा।

सन् 1930 में जब महात्मा गांधी ने नमक के सत्याग्रह के लिए दांडी की यात्रा की थी, तब भी घोषणा होने के पहले लोगों को सामर्थ्य नज़र नहीं आया था। चाहे स्वदेशी आंदोलन हो, चाहे सत्याग्रह की परंपरा हो, चाहे नमक का सत्याग्रह हो, उस समय तो वे घटनाएं छोटी लगती थीं, लेकिन सन् 1947 तक, 25 साल के उस कालखण्ड ने देश के अंदर जज्बा पैदा कर दिया, हर व्यक्ति के दिल में वह जज्बा पैदा कर दिया था कि अब तो आज़ाद हो कर रहना है। मैं आज देख रहा हूँ कि देश में वह जज्बा पैदा हुआ है कि हर गली-मोहल्ले में, हर बच्चे के मुंह से निकला है कि 25 सालों में हम विकसित भारत बना देंगे। इसलिए ये 25 साल मेरे देश की युवाशक्ति के अत्यंत महत्वपूर्ण कालखंड हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं होगा, जो नहीं चाहता होगा कि 25 साल में देश विकसित भारत न बने। हर किसी का सपना है, कुछ लोगों ने सपने को संकल्प बना लिया है। कुछ लोगों को शायद संकल्प बनाते देर हो जाएगी, लेकिन जुड़ना हरेक को होगा। जो जुड़ भी नहीं पाएंगे और जीवित होंगे, तो फल तो जरूर खाएंगे, यह मेरा विश्वास है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, इन पांच वर्षों में युवाओं के लिए बहुत ही ऐतिहासिक कानून भी बने हैं। व्यवस्था में पारदर्शिता ला कर युवाओं को नए मौके दिए गए हैं। पेपर लीक जैसी समस्या हमारे युवाओं को चिंतित करती थी। हमने बहुत ही कठोर कानून बनाया है, ताकि उनके मन में जो सवालिया निशान है और व्यवस्था के प्रति उनका जो गुस्सा था, उसको एड्रेस करने का सभी माननीय सांसदों ने देश के युवाओं के मन के भाव को समझ कर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय किया है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, यह बात सही है कि कोई भी मानव जाति अनुसंधान के बिना आगे नहीं बढ़ सकती है। उसको नित्य परिवर्तन के लिए अनुसंधान अनिवार्य होते हैं और मानव जाति का लाखों सालों का इतिहास गवाह है कि हर काल में अनुसंधान होते गए हैं, जीवन बढ़ता चला गया है, जीवन का विस्तार होता गया है। इस सदन ने विधिवत रूप से कानूनी व्यवस्था खड़ी कर के अनुसंधान को प्रोत्साहन देने का बहुत बड़ा काम किया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, यह कानून आम तौर पर रोज़मर्रा की राजनीति की चर्चा का विषय बन नहीं पाता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत दूरगामी होने वाले हैं। इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम इस 17वीं लोक सभा ने किया है। मुझे पक्का विश्वास है कि देश

की युवा शक्ति इस व्यवस्था के कारण दुनिया का रिसर्च का एक हब हमारा देश बन सकता है। हमारे देश के युवा का टैलेंट ऐसा है कि आज भी दुनिया की बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं, जिनके इनोवेशन के काम आज भी भारत में हो रहे हैं। इसलिए देश बहुत बड़ा हब बनेगा, यह मेरा विश्वास है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, 21वीं सदी में हमारी बेसिक नीडस पूरी तरह बदल रही है। कल तक जिसका कोई मूल्य नहीं था, कोई ध्यान नहीं था, वह आने वाले समय में बहुत अमूल्य बन चुका है। जैसे डेटा है। पूरी दुनिया में चर्चा है कि डेटा का सामर्थ्य क्या होता है। हमने डेटा प्रोटेक्शन बिल ला कर पूरी भावी पीढ़ी को सुरक्षित कर दिया है। एक नया शस्त्र हमने उनके हाथ में दिया है, जिसके आधार पर वह अपने भविष्य को बनाने के लिए इसका सही इस्तेमाल भी करेंगे। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हमारी 21वीं सदी की पीढ़ी को और दुनिया के लोगों को भी भारत के इस एक्ट के प्रति रुचि बनी हुई है। दुनिया के देश उसका अध्ययन कर रहे हैं और अपने-अपने यहां व्यवस्थानुकूल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

डाटा का उपयोग कैसे हो, उसकी गाइडलाइंस भी उसमें है। अनेक प्रकार से प्रोटेक्शन का पूरा प्रबंध करते हुए, इसका सामर्थ्य कैसे आए, जिस डेटा को लोग आज गोल्ड माइन कहते हैं, न्यू ऑयल कहते हैं, मैं समझता हूं कि वह सामर्थ्य भारत को प्राप्त हो गया है। भारत की शक्ति इसलिए विशेष है, क्योंकि विविधताओं से भरा हुआ यह देश है। हमारे पास जिस प्रकार की जानकारी है, हमारे साथ जुडे हुए जो डेटा जेनरेट होते हैं, सिर्फ हमारे रेलवे पैसेंजर्स के डेटा कोई देख ले, यह दुनिया के लिए बहुत बड़ा संसाधन का विषय बन सकता है। उसकी ताकत को हमने पहचान करके इस कानूनी व्यवस्था को दिया है

आदरणीय अध्यक्ष जी, जल, थल, नभ – सदियों से इन क्षेत्रों की चर्चा चली है, लेकिन अब समुद्री शक्ति, स्पेस की शक्ति और साइबर की शक्ति, ऐसी तीनों शक्तियों का मुकाबला करने की आवश्यकता उठ खड़ी हुई है और विश्व जिस प्रकार के संकटों से गुजर रहा है, विश्व में जिस प्रकार की विचारें प्रभावित करने का प्रयास कर रही हैं तब इन क्षेत्रों में हमें सकारात्मक सामर्थ्य भी पैदा करना है और नकारात्मक शक्तियों से अपने-आप को और चुनौतियों को लेने का सामर्थ्य भी बनाना है। उसके

लिए स्पेस से जुड़े आवश्यक रिफॉर्म्स बहुत अनिवार्य हैं। बहुत दूरगामी दृष्टि के साथ स्पेस रिफॉर्म का काम हमारे यहां हुआ है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, देश ने जो आर्थिक रिफॉर्म किए हैं, उनमें 17वीं लोक सभा के सभी सांसदों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। बीते वर्षों में हजारों कम्प्लाएन्सेस बेवजह और जनता-जर्नादन को ऐसी चीजों में उलझाए रखा, गवर्नेंस की एक ऐसी विकृत व्यवस्था विकसित हो गई, उससे मुक्ति दिलाने का बहुत बड़ा काम हमारे यहां हुआ है। इसके लिए भी इस सदन का मैं आभारी हूं। इस प्रकार के कम्प्लाएन्सेस के बोझ में सामान्य व्यक्ति तो दब जाता है। मैंने तो एक बार लालकिले से भी कहा था कि जब हम मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस देते हैं, मैं दिल से मानता हूं कि लोगों की जिंदगी में से जितना जल्द सरकार निकल जाए, उतना ही लोकतंत्र का सामर्थ्य बढ़ेगा। रोजमर्रा की जिंदगी में हर डगर पर एक सरकार टांग क्यों अड़ाए! हाँ, जो अभाव में हैं, उसके लिए सरकार हर पल मौजूद हो, लेकिन सरकार का प्रभाव उसकी जिंदगी को ही रूकावट बना दे, ऐसा लोकतंत्र नहीं हो सकता है। इसलिए, हमारा मकसद है, सामान्य मानवों की जिंदगी से सरकार जितनी जल्दी हट जाए, कम से कम उसकी जिंदगी में सरकार का नाता रहे, वैसा समृद्ध लोकतंत्र दुनिया के सामने हमें आगे बढ़ाना चाहिए। उस सपने को पूरा करेंगे।

आदरणीय अध्यक्ष जी, कंपनीज़ एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 60 से अधिक गैर-जरूरी कानूनों को हमने हटाया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए यह बहुत बड़ी आवश्यकता थी। अब देश को आगे बढ़ना है तो बहुत सारी रुकावटों से बाहर आना पड़ेगा।। हमारे कई कानून तो ऐसे थे, छोटी-छोटी कानूनों से जेल में भर दो, बस। यहाँ तक कि एक फैक्ट्री है और उसके शौचालय को छह में एक बार अगर वाइट वाश नहीं किया है तो उसके लिए जेल थी। वह कितनी बड़ी कंपनी का मालिक क्यों न हो, अब जो एक प्रकार से अपने आप को बड़े लिबरल कहते हैं, उन लोगों की आइडियोलॉजी और देश में एक तिमारशाही का जमाना, उन सारों से मुक्ति दिलाने का हमें भरोसा होना चाहिए। वह जरूर करेगा। आज लोगों के घरों में लिफ्ट होती है, सोसाइटी और फ्लैट वाले लोग

अपने लिफ्ट का रिपेयर करते ही हैं। वे हर चीज कर लेते हैं। यह जो समाज और नागरिक पर भरोसा करने का काम है, बहुत तेजी से बढ़ाने का काम 17वीं लोक सभा ने किया है।

जन विश्वास एक्ट, मैं समझता हूं कि 180 से ज्यादा प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज करने का काम किया है। छोटी-छोटी बात में जेल में डाल देना, डीक्रिमिनलाइज करके हमने नागरिक को ताकत दी है। वह इसी सदन ने किया है, यही माननीय सांसदों ने किया है। कोर्ट के चक्कर से जिंदगी बचाने के लिए बहुत महत्वूपर्ण काम, कोर्ट के बाहर विवादों से मुक्ति, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण काम, मध्यस्थता कानून, उस दिशा में भी इन्हीं माननीय सांसदों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है।

जो हमेशा हाशिए पर थे, किनारे पर थे, जिनको कोई पूछता नहीं था, सरकार होने का उनको एहसास हुआ है। हां, सरकार है, हम हैं। जब कोविड में मुफ्त इंजेक्शन मिलता था, उसको भरोसा होता था, चलिए, जान बच गई। सरकार होने का उसको एहसास होता है। यही तो सामान्य मानवी की जिंदगी में बहुत आवश्यक होता है। वह असहायता न अनुभव हो कि अब क्या होगा, यह स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए।

ट्रांसजेंडर समुदाय अपमानित महसूस करता था। जब बार-बार वह अपमानित होता था, तो उसके अन्दर भी विकृतियों की सम्भावनाएं बढ़ती रहती थीं और ऐसे विषयों से सब लोग दूर भागते थे। 17वीं लोक सभा के सभी माननीय सांसदों ने ट्रांसजेंडर्स के प्रति भी संवेदना जताई और उनकी बेहतरीन जिंदगी बनाई। आज दुनिया के अंदर, भारत ने ट्रांसजेंडर्स के लिए जो काम, निर्णय किए हैं, इनकी चर्चा है। इवेन हमारी माता-बहनों के लिए प्रेगनेंसी के लिए 26 वीक की डिलीवरी के समय की छुट्टी मिले तो दुनिया के समृद्ध देशों को भी आश्चर्य होता था। यानी ये प्रोग्रेसिव निर्णय यहीं पर हुए हैं, इसी 17वीं लोक सभा में हुए हैं। हमने ट्रांसजेंडर को एक पहचान दी है। अब तक करीब 16-17 हजार ट्रांसजेंडर्स को उनका आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है, ताकि उनके जीवन को और सरल बना सकें। मैंने देखा है कि अब तो मुद्रा योजना से पैसे लेकर वह छोटा-मोटा बिजनेस करने लगी है, कमाने लगी है। हमने 'पद्म एवार्ड' ट्रांसजेंडर को दिया है। एक सम्मान की जिंदगी जीने के लिए दी है। सरकार से

जुड़ी अनेक योजनाओं का लाभ जो अब तक उनको मिलता नहीं था, मिलना प्रारम्भ हुआ है, सम्माननीय जिंदगी मिली है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत विकट काल में हमारा समय गया, क्योंकि डेढ़-दो साल कोविड ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा दबाव डाला, लेकिन उसके बावजूद भी 17वीं लोक सभा देश के लिए बहुत उपकारक रही है, बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन, इस समय हमने कई साथियों को भी खो दिया। हो सकता है, अगर आज वे हमारे बीच होते तो इस विदाई समारोह में मौजूद होते, लेकिन बीच में ही कोविड के कारण हमें अपने बहुत होनहार साथियों को खोना पड़ा। उसका दु:ख हमेशा-हमेशा हमें रहेगा।

आदरणीय अध्यक्ष जी, 17वीं लोक सभा का यह अंतिम सत्र और अंतिम ऑवर ही समझ लीजिए, है। लोकतंत्र और भारत की यात्रा अनन्त है। यह देश किसी परपज के लिए है, उसका कोई लक्ष्य है, वह पूरी मानव जाति के लिए है। चाहे श्री अरविन्दो ने देखा हो, चाहे स्वामी विवेकानन्द जी ने देखा हो, लेकिन आज उन शब्दों में, उस विजन में सामर्थ्य था, वह हम आंखों के सामने देख पा रहे हैं। दुनिया जिस प्रकार से भारत के महात्म्य को स्वीकार कर रही है, भारत के सामर्थ्य को स्वीकारने लगी है और इस यात्रा को हमें और शक्ति के साथ आगे बढ़ाना है।

माननीय अध्यक्ष जी, चुनाव बहुत दूर नहीं है। कुछ लोगों को थोड़ी घबराहट रहती होगी, लेकिन यह लोकतंत्र का सहज आवश्यक पहलू है। हम सब उसको गर्व से स्वीकार करते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे चुनाव देश की शान बढ़ाने वाले होंगे। लोकतंत्र की हमारी जो परंपरा है, वह पूरे विश्व को अचम्भित करने वाली अवश्य रहेंगी, मेरा पक्का विश्वास है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी माननीय सांसदों को जो सहयोग मिला है, जो निर्णय हम कर पाए हैं, कभी-कभी हमले भी इतने मजेदार हुए हैं कि हमारे भीतर की शक्ति भी खिल कर निकली है। मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा रही है कि मेरे पास जो चुनौती आती है तो आनंद आता है। हर चुनौती का हम सामना कर पाए हैं, बड़े आत्मविश्वास और विश्वास के साथ हम चले हैं।

आज राम मंदिर को लेकर इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है, वह देश की भावी पीढ़ी और देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। यह सही है कि हर किसी में यह सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीजों में, कोई हिम्मत दिखाता है, कुछ लोग मैदान छोड़ कर भाग जाते हैं लेकिन फिर भी भविष्य के रिकार्ड देखेंगे तो आज व्याख्यान हुए, जो बातें रखी गयीं, उनमें संवेदना भी है, संकल्प भी है, सहानुभूति भी है और सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को आगे बढ़ाने का तत्व भी है। इस देश के बुरे दिन कितने ही क्यों न गए हों, हम भावी पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ अच्छा करते रहेंगे। यह सदन हमें वह प्रेरणा देता रहेगा। हम सामूहिक संकल्प से, सामूहिक शक्ति से उत्तम से उत्तम परिणाम भारत की नौजवान पीढ़ी की आशा और आकांक्षा के अनुसार करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर आपका आभार प्रकट करता हूं। सभी माननीय सांसदों का आभार प्रकट करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय सदस्यगण, सत्रहवीं लोक सभा के इस सत्र के साथ इस लोक सभा का आज समापन हो रहा है। सत्रहवीं लोक सभा इसलिए भी विशेष है कि भारत के अमृत काल में हमने संसद के पुराने भवन और नए भवन, दोनों भवनों में अपने संसदीय दायित्वों को निभाया। यह अवसर हमें मिला, यह अवसर भी हमेशा हमारी जिन्दगी में स्मरणीय रहेगा। नए भवन में स्थापित पवित्र सेंगोल न्याय, सुशासन, राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक शुचिता का प्रतीक है। हमारे महान लोकतंत्र की इस उच्चतम संस्था के पीठासीन अधिकारी के रूप में आप सबके सकारात्मक सहयोग से मैंने दायित्व निभाया।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हमें बहुत सारी बातें प्रेरणा स्वरूप बतायी। हमारे लिए यह पल ऐतिहासिक पल रहेगा, अद्भुत भी रहेगा। हमारी जिन्दगी भी लोकतंत्र की इस यात्रा के लिए हमेशा स्मृतिपूर्ण वाला काल रहेगा।

इन पांच वर्षों के अंदर जनता का लोकतंत्र के प्रति, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विश्वास बढ़े, इसके लिए सभी माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया। उन्होंने यहां अपने क्षेत्र के मुद्दे भी उठाए, देश के मुद्दे भी उठाए और मैं सरकार